रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 1996/भाद्र 21, 1918
No. 290] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 1996/BHADRA 21, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1996

सा.का.नि. 417(अ).—स्वापक औषध तथा मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के उप महानिदेशक (समन्वय) श्री आर.के. तिवारी को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा.सं. 820/12/96—पिट एन डी पी एस]
आर. के. गुप्तन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 12th September, 1996

G.S.R. 417(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Shri R. K. Tewari, Deputy Director General (Coord), Narcotics Control Bureau for the purpose of the said Act.

[F. No. 820/12/96-PIT NDPS]
R. K. GUPTAN, Under Secy.

2211 GI/96

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996